

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 957(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 667(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

अनुसूची में,-

- (i) क्रम सं. 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUMNew Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 957(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017,-

In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for "9", read "7, 9 or 10";
- (ii) in S.No.102, in column(2), for "2302", read "2301, 2302".

[F.No.354/117/2017-TRU]
MOHIT TEWARI, Under Secy.**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 958(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

क) अनुसूची में I-2.5%,-

- (i) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं. 92 में,-

क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;

ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा" पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं. 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान " पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 220 में, स्तंभ (3) में-